रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256598 CG-DL-E-23082024-256598

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

No. 477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

सं. 15/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 516(अ).—जबिक, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया जाएगा) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (सीपीवीसी) - चाहे इनसे आगे यौगिक बनाया गया हो या नहीं" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया जाएगा), जिस पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 मार्च, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 164(अ), दिनांक 7 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/28/2023- डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2023, जिसे दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की

5382 GI/2024 (1)

पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार समीक्षा शुरू की थी;

और जबिक, विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, दिनांक 25 मई, 2024 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/28/2023-डीजीटीआर, दिनांक 25 मई, 2024 के तहत प्रकाशित किए गए थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को विषयगत माल का निर्यात जारी है, जिसके परिणामस्वरूप विषयगत माल की डंपिंग हो रही है;
- (ii) विषयगत देशों से डंप्ड आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं;
- (iii) उपायों की समाप्ति की स्थिति में और यदि प्रतिपाटन उपायों में संशोधन नहीं किया जाता है, तो विषयगत देशों से इंपिंग की संभावना है तथा क्षति की संभावना है,

और घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है।

अब, इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षित का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 मार्च, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा संबद्ध वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश के अंतर्गत आती है, उक्त तालिका के कॉलम (4) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से उद्भूत है, कॉलम (5) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, कॉलम (7) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्देशन की है, कॉलम (8) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इवाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, अर्थात:

तालिका

क्र.	टैरिफ	वस्तु का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक	उत्पादक	विनिर्देश	राशि	मुद्रा	माप
सं.	मद			देश					की
									ईकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39041010	क्लोरीनेटेड	चीन जनवादी	चीन	कोई भी	सीपीवीसी	790	अमेरिकी	मीट्रिक
	39041020	पॉलीविनाइल	गणराज्य	जनवादी		रेजिन		डॉलर	टन
	39041090	क्लोराइड		गणराज्य					
	39042100	(सीपीवीसी) -		सहित कोई					
	39042200	चाहे इनसे आगे		भी देश					
2	39043090	यौगिक बनाया	चीन जनवादी	चीन	कोई भी	सीपीवीसी	605	अमेरिकी	मीट्रिक
	39044000	गया हो या नहीं	गणराज्य	जनवादी		यौगिक		डॉलर	टन
	39045090			गणराज्य					
	39046990			सहित कोई					
	39049010			भी देश					
	39049090								

3		चीन जनवादी	चीन	कोई भी	सीपीवीसी	790	अमेरिकी	मीट्रिक
		गणराज्य और	जनवाद <u>ी</u>		रेजिन	. 50	डॉलर	टन
		कोरिया	गणराज्य		X1 =1 1		31.11	J.,
		गणराज्य के	1 1 1 1 1 2 3					
		गगराज्य ग अलावा कोई						
		भी देश						
4		चीन जनवादी	चीन	कोई भी	सीपीवीसी	605	अमेरिकी	मीट्रिक
4		यान जनवादा गणराज्य और	जनवाद <u>ी</u> जनवादी	पगइमा	सापावासा यौगिक	000	अमारका डॉलर	मााट्रक टन
		गणराज्य जार कोरिया	गणराज्य		या।गम		अलर	टन
		कारिया गणराज्य के	गणराज्य					
		गणराज्य क अलावा कोई						
		अलावा काइ भी देश						
5		भा दश कोरिया	कोरिया	ਰਕਰਾ	सीपीवीसी	593	अमेरिकी	mh-
3				हनव्हा सॉब्सशंस	सापावासा रेजिन	293	अमारका डॉलर	मीट्रिक
		गणराज्य	गणराज्य	सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	राजन		डालर	टन
			सहित कोई भी देश	कापा रश न				
6		कोरिया	भा दश कोरिया		सीपीवीसी	702	अमेरिकी	Mh-
0				हनव्हा	सापावासा यौगिक	792	अमारका डॉलर	मीट्रिक
		गणराज्य	गणराज्य स्टिन सोर्	सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	या।गक		डालर	टन
			सहित कोई भी देश	कापारश न 				
7		-20				E00	3 -36-6	-00
7		कोरिया	कोरिया	उपर्युक्त के	सीपीवीसी	593	अमेरिकी -रॅन	मीट्रिक
		गणराज्य	गणराज्य चित्र केर्	अलावा कोई	रेजिन		डॉलर	टन
			सहित कोई	अन्य				
		->	भी देश	उत्पादक	-0.000	700	- 	-00-
8		कोरिया	कोरिया	उपर्युक्त के	सीपीवीसी	792	अमेरिक <u>ी</u>	मीट्रिक
		गणराज्य	गणराज्य चरित्र चेर्	अलावा कोई	यौगिक		डॉलर	टन
			सहित कोई	अन्य				
			भी देश	उत्पादक	-0-0-0	500		-00
9		चीन जनवादी	कोरिया	कोई भी	सीपीवीसी	593	अमेरिकी	मीट्रिक —
		गणराज्य और	गणराज्य		रेजिन		डॉलर	टन
		कोरिया						
		गणराज्य के						
		अलावा कोई						
		भी देश	2.0	2.0	0.000		20.0	0.0
10		चीन जनवादी	कोरिया	कोई भी	सीपीवीसी	792	अमेरिकी	मीट्रिक
		गणराज्य और	गणराज्य		यौगिक		डॉलर	टन
		कोरिया						
		गणराज्य के						
		अलावा कोई						
		भी देश						

नोट:- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यदि उत्पाद का आयात किसी अन्य कोड के तहत किया जाता है, तो उस पर पाटनरोधी शुल्क लगेगा।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इसे पहले ही रद्द, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है) और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में निर्दिष्ट की गई होगी, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत आयात पत्र पर प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/117/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

अम्रीता टाइटस. उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

No. 15/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 516(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/28/2023- DGTR, dated the 29th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th December, 2023, initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin (CPVC)-whether or not further processed into compound" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number 05/2020-Customs (ADD), dated the 7th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 164(E), dated the 7th March, 2020;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, *vide* notification number 7/28/2023-DGTR, dated the 25th May, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 27th May, 2024, has come to the conclusion that-

- the subject goods continue to be exported to India at prices below the normal value, resulting into dumping of the subject goods;
- (ii) dumped imports from subject countries are causing injury to the domestic industry;
- (iii) there is likelihood of dumping and likelihood of injury from the subject countries in an event of expiry of measures and if the anti-dumping measures are not modified,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 05/2020-Customs (ADD), dated the 7th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 164(E), dated the 7th March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2),

originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), of specification as specified in the corresponding entry in column (7), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table, namely:-

TABLE

S.	Tariff	Description	Country	Country	Producer	Specification	Amount	Currency	Unit of
No.	item	of goods	of	of					measurement
		. .	origin	export					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39041010	Chlorinated	China	Any	Any	CPVC resin	790	USD	MT
	39041020	Polyvinyl	PR	country					
	39041090	Chloride		including					
	39042100	(CPVC) -		China					
	39042200	whether or		PR					
2	39043090	not further	China	Any	Any	CPVC	605	USD	MT
	39044000	processed	PR	country		compound			
	39045090	into		including					
	39046990	compound		China					
	39049010			PR					
3	39049090		Any	China	Any	CPVC resin	790	USD	MT
			country	PR					
			other						
			than						
			China						
			PR and						
			Korea						
			RP						
4			Any	China	Any	CPVC	605	USD	MT
			country	PR		compound			
			other						
			than						
			China						
			PR and						
			Korea						
5			RP	A	Hanwha	CPVC	593	USD	MT
3			Korea RP	Any			593	USD	M1
			KP	country	Solutions	resin			
				including Korea	Corporation				
				RP					
6			Korea	Any	Hanwha	CPVC	792	USD	MT
J			RP	country	Solutions	compound	172	עפט	141 1
			IXI	including	Corporation	Compound			
				Korea	Corporation				
				RP					
7			Korea	Any	Any	CPVC	593	USD	MT
			RP	country	producer	resin			
				including	other than				
				Korea	mentioned				
				RP	above				
8			Korea	Any	Any	CPVC	792	USD	MT
			RP	country	producer	compound			
				including	other than				
				Korea	mentioned				
				RP	above				
9			Any	Korea	Any	CPVC	593	USD	MT
			country	RP		resin			

	other than China PR and Korea						
	RP						
10	Any	Korea	Any	CPVC	792	USD	MT
	country	RP		compound			
	other						
	than						
	China						
	PR and						
	Korea						
	RP						

Note:— Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration. If the product is imported in any other code, the same is liable to anti-dumping duty.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/117/2024-TRU Section-CBEC]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.